तृतीय अनुसूची
THIRD SCHEDULE
प्रपत्र एम0एम0–1
खनन पट्टे के लिये आवेदन पत्र (नियम–6)
(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

दिनांक .....

(समय) ..... बजे
(स्थान).....
(दिनांक) ..... को प्राप्त हुआ। सभी प्रकार से पूर्ण/अपूर्ण

(पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से ..... को पूर्ण किया गया।

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूं/करेते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के अधीन खनन पट्टा दिया जाय।

2. उक्त नियमावली में नियम 6 के उपनियम (1) के अधीन इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क और प्रारम्भिक व्यय का क्रमशः ..... रूपया और .....रूपया जमा कर दिया जायेगा।
3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

(एक) प्रार्थी का नाम और पूरा पता
(दो) क्या प्रार्थी गैर सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म का निकाय है :
(तीन) यदि प्रार्थी :–

(क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता
(ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों कि राष्ट्रिकता और उनके निबंधन (रजिस्ट्रेशन) का सीन

(ग) सार्वजनकि कम्पनी है तो राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूजी का प्रतिशत तथा उनके निगमन का स्थान

(घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता

21 वां (ड़) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई मिली–जुली अवस्था में हो, प्रार्थना कर्ता है तो निर्धारित प्रपत्र पर जाति एवं निवास प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

(चार) प्रार्थी का व्यवसाय तथा कारोबार

(पांच) खनिज जिसे/जिन्हें प्रार्थी खनन करना चाहता है

(छः) अवधि, जिसके लिये खनन पट्टा अपेक्षित है .....

(सात) उस क्षेत्र का ब्योरा, जिसके सम्बन्ध में खनन पट्टा अपेक्षित है :–

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	क्या रिक्त है/किसी के द्वारा घृत है और यदि घृत हैं तो उसका ब्यौरा।
1	2	3	4	5	6	7

(आठ) निम्नलिखित के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के साथ क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण :–

(क) प्राकृतिक आकृतियां, ऐसे स्रोत आदि के उल्लेख के साथ क्षेत्र की स्थिति।

(ख) वन क्षेत्रों की दशा में, कार्यवृत (वर्किंग सर्किल) का नाम, धन (रजि) और पातन क्षेत्र (फेलिंग सीरीज, यदि कोई हो, वन में ज्ञात और सीमांकित क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्षेत्र का विवरण तथा विस्तार (लगभग)।

(ग) भू–कर सर्वेक्षण (कैडेस्ट्रल सर्वे) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की दशा में, धरातल मानचित्र (टोपो मैप) में निश्चित स्थानो के अभिदेश में क्षेत्र के प्रारम्भिक स्थान (स्ट्रटिंग प्वांइट) विवरण और सीमा रेखा की रेखीय दूरीयों और उसकी 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने के धरातल मानचित्र में दिये गये क्षेत्र के तदृनुसार यथासम्भ्व ठीक–ठीक दिकस्थिति (बियरिंग)।

(घ) मानचित्र पर कम से कम दो स्थायी अभिदेश बिन्दु अवश्य दर्शाया जाना चाहिये।

(नौ) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर, खनिजवार ऐसे क्षेत्रों के विवरण :–

(क) जिन्हें प्रार्थी या कोई व्यक्ति, जो उसके साथ स्वत्व में संयुक्त (ज्वाइन्ट इन्टरेस्ट) हो, पट्टे के अधीन पहले से धारण किये हो।

(ख) जिसके लिये उसने पहले से ही प्रार्थना पत्र दिया हो किन्तु स्वीकार न किया गया हो।

(ग) जिसके लिये एक साथ ही प्रार्थना पत्र दिया जा रहा हो।

(दस) संयुक्त स्वत्व का प्रकार, यदि कोई हो

(ग्यारह) रीति, जिसके अनुसार संग्रह किये गये खनिज का उपयोग किया जायेगा, यदि प्रार्थी आवेदित खनिज का उद्योग सीापित करना चाहता हो, या उसने पहले से ही स्थापित किया हो उसका पूर्ण विवरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र दिया जाना चाहिये।

(बारह) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन।

21 वां (बारह–क) खननदेय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिये।

यदि प्रार्थी द्वारा राज्य क्षेत्र के भीतर कोई खनन पट्टा या कोई अन्य खनिज परिहार धारित नहीं करता है या धारित नहीं किया था तो इस कथन का शपथ पत्र उक्त प्रमाण पत्र के स्थान पर दिया जाना चाहिये।

(तेरह) उपर्युक्त (दो) में अभिदिष्ट धनराशि के लिये संलग्न रसीद वाले कोषागार चालान के विवरण

(चौदह) कोई अन्य विवरण या रेखा–मानचित्र (स्केच मैप) जो प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहें

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण जिसके अन्तग्रज्ञ यथार्थ नक्शें और प्रतिभूति जमा आदि हैं, देने को तैयार हूं/है, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों।

स्थान..... भवदीय

दिनांक .....

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

अवधेय :– (1) यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण–पत्र (पावर आफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।

(2) प्रार्थना पत्र केवल एक सहत खण्ड (ब्लाक) के लिये होना चाहिये। 17– इस प्रकार प्रतिस्थापित उक्त नियमावली के प्रपत्र

प्रपत्र एम0एम0–1 (क)
(20 वां संशोधन)

(चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

खनन पट्टे के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र (नियम 6 क देखिये)

दिनांक .....

(स्थान).....दिनांक ..... को प्राप्त हुआ।

(पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर)

(दिनांक) .....
के माध्यम से .....

सेवा में,

.....
.....
.....

महोदय,

मैं/हम उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमवाली, 1963 के अधीन खनन पट्टे से नवीकरण के लिये निवेदन करता हूं/करते हैं। उक्त नियमावली के नियम –6–क के उपनियक (1) के अधीन देय 1000.00 (एक हजार रूपये) का प्रार्थना पत्र शुल्क जमा कर दिया गया है।

अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

1. प्रार्थी का नाम और पूरा पता
2. क्या प्रार्थी गैर सरकारी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म का निकाय है।
3. यदि प्रार्थी :–

   (क) व्यक्ति विशेष है तो उसकी राष्ट्रिकता
   (ख) निजी कम्पनी है तो कम्पनी के सभी सदस्यों कि रजिस्ट्रीकरण के स्थान के साथ उसकी राष्ट्रिकता
   (ग) सार्वजनकि कम्पनी है तो निदेशकों की राष्ट्रिकता, भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा धृत अंशपूजी का प्रतिशत तथा उनके निगमन का स्थान
   (घ) फर्म या निकाय है तो फर्म के सभी भागीदारों या निकाय के सभी सदस्यों की राष्ट्रिकता
   (ड़) यदि प्रार्थना पत्र बालू और मौरम के लिये है तो प्रत्येक प्रार्थी की जाति और निवास स्थान के पते का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

4. प्राथी/प्रार्थियों के व्यवसाय या कारोबार की प्रकृति
5. खनन देय बकाया न होने का जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना चाहिये। (21 वां संशोधन)
6. (क) खनन पट्टे का विवरण, जिसका नवीकरण वांछित है।
   (ख) पूर्व में स्वीकृत नवीकरण के ब्योरे, यदि कोई हो,
7. अवधि, जिसके लिये खनन पट्टे का नवीकरण अपेक्षित है।
8. क्या नवीकरण का आवेदन धृत पट्टे के सम्पूर्ण या उसके मांग के लिये किया गया है।
   (क) क्षेत्र, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया
   (ख) उस क्षेत्र का विवरण, जिसके नवीकरण के लिये आवेदन किया गया है (विवरण भूखड के सीमांकन के लिये पर्यात्प होना चाहिये)
   (ग) धृत पट्टा क्षेत्र के मानचित्र का विवरण, जिसमें नवीकरण के लिये आपेक्षित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया हो (संलग्न)
   (घ) विद्यमान या सृजित मलवे के विवरण यदि कोई हो
9. क्या प्रार्थी का उस भूमि के धरातल, जिसके खनन पट्टे के नवीकरण के लिये उसने अपेक्षा की है, अधिकार है ?
10. यदि उसको सतही अधिकार प्राप्त नहीं हैं तो क्या उनमें खनन संक्रिया के लिये क्षेत्र के स्वामी और अधिभोगी की सहमति प्राप्त कर ली है? यदि सहमति प्राप्त कर ली है तो स्वामी और अधिभोगी की लिखित सहमति प्रस्तुत की जायेगी।
11. शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्रत्येक राज्य में खनिजवार क्षेत्र का विवरण जिस पर आवेदक या उसके साथ संयुक्त स्वत्व रखने वाला व्यक्ति :–
   (क) खनन पट्टे के अधीन पहले से धारित करता है,
   (ख) पहले ही आवेदन किया हो, किन्तु यह स्वीकार न किया गया हो, या
   (ग) साथ–साथ आवेदन कर रहा हो :
12. खनन योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :
   (क) क्षेत्र का मानचित्र जिसमें खनिज निकाय तथा खनिज स्थल या स्थलों का प्रकार और उनका विस्तार दर्शाया गया हो, जिसमें प्रथम वर्ष में उत्खनन किया जाना हो, और उसका विस्तार, प्रार्थी द्वारा एकत्र किये गये पूर्वेक्षण आंकडों पर आधरित उत्खनन स्थल का विस्तृत ब्यौरा पट्टे की अवधि के लिये अनन्तिम खनन योजना

   (ख) क्षेत्र के भू–विज्ञान एवं अश्म–विज्ञान (Lithology) का ब्यौरा, शारीरिक श्रम आदि मशीन द्वारा खनन का विस्तार
   (ग) वार्षिक कार्यक्रम और वर्षानुवर्ष उत्खनन योजना और
   (घ) क्षेत्र का नक्शा, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोत्र, आरक्षित वन तथा अन्य वनों की सीमा और वृक्षों की संघनता, खनन क्रिया–कलाप का वन, भूमि और पर्यावरण, जिसमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी सम्मिलित हैं, पर प्रभाव का आंकलन और वन रोपण भूमि–पुनरूधार, प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रयोग की योजना के ब्योरे दशायें।

टिप्पणी – इसकी आवश्कता नदी तल के बालू, मौरम, बजरी इत्यादि के लिये नहीं होगी। (21 वां संशोधन)

13. साधन, जिससे खनिज निकाला जाता है, अर्थात शारीरिक श्रम द्वारा या यान्त्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा
14. श्रीति जिसके अनुसार संग्रह किया गया खनिज उपयोग में लाया जायेगा :–
    (क) भारत में विनियोग के लिये
    (ख) विदेशों में निर्यात करने के लिये,
    (ग) पूर्ववर्ती दशा में उन उद्योगों को, जिसे संबंध में यह अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट किया जायेगा पश्चातवर्ती दशा में, उन देशों का उल्लेख किया जाना चाहिये, जिनकी खनिज का निर्यात किया जायेगा का उल्लेख किया जाना चाहिऐ कि क्या खनिज प्रक्रमण्ड के पश्चात निर्माण किया जायेगाया कच्चे रूप में
15. विगत तीन वर्षों में उत्पादन का ब्यौरा और आगामी तीन वर्षों के दौरान विकास के लिये अभिन्यास योजन सहित उत्पादन के लिये चरणबद्व कार्यक्रम, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिये।
16. विद्यमान उपलब्ध रेलवे परिवहन सुविधा और अतिरिक्त परिवहन सुविधा, यदि कोई अपेक्षित हो।
17. कोई अन्य विवरण जो प्रार्थी देना चाहता हों।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम, पट्टा दिये जाने या उनका नवीकरण किये जाने के पूर्व आपके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ब्यौरा, जिसमें नक्शें भी हैं, देने का तत्पर हूं/हैं।

स्थान..... भवदीय
दिनांक .....

प्रार्थी/प्रार्थियों के हस्ताक्षर

अवधेय :–यदि प्रार्थना पत्र प्रार्थी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाय तो अभिकरण–पत्र (पावर आफ एटार्नी) संलग्न किया जाना चाहिये।